तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं पीठासीन अधिकारी :- शैलेश खैरवा (आर. ए. एस) अपील सं० – 4/2020 1. बीरबल पुत्र लादुराम जाति मेघवाल निवासी अम्बेडकर नगर तहसील व जिला झुंझुनूं। ---अपीलांट –बनाम– 1. ग्राम पंचायत उदावास पंचायत समिति झुंझुनूं जरिये सरपंच। 2. ओम प्रकाश पुत्र नत्थूराम 3. दुर्गी पुत्री लादुराम 4. बनारसी पुत्री लादुराम 5. शीशराम पुत्र नत्थूराम जातिमान मेघवाल निवासीगण अम्बेडकर नगर तहसील व जिला झुंझुनूं (राज०)। — रेस्पोंडेन्टस — उपस्थित अधिवक्तागण :- 1. श्री राजेश पुनिया अधिवक्ता : अपीलांट की ओर से 2. रेस्पोंडेन्टस 1 से 5 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रथम अपील अ० धारा 75 राज०-भू- राजस्व अधिनियम 1956 अपील खिलाफ आदेश दिनांक 21-11-2019 जो अदालत ग्राम प० उदावास बाबत नामान्तरकरण सं० 261 ग्राम अम्बेडकर नगर बाबत हाल खसरा नं० 34 व 81 ग्राम अम्बेडकर नगर तहसील झुंझुनूं। **निर्णय** दिनांक 18/4/22 अपील अपीलांट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट ने एक अपील खिलाफ आदेश दिनांक 21-11-19	

जो अदालत ग्राम पंचायत उदावास बाबत नामान्तरकरण
सं० 261 ग्राम अम्बेडकर नगर बाबत हाल ख०नं०
34 व 81 ग्राम अम्बेडकर नगर तहसील झुंझुनूं। किन्तु
रेस्पोन्डेन्टस 1 ता 5 के पेश कि जमीन हाल ख०नं० 34
रकबा 1.01 है०, ख०नं० 81 रकबा 1.91 है० सरहद राजस्व
ग्राम अम्बेडकर नगर तहत तहसील झुंझुनूं के स्थित है।
उक्त जमीन के में अपीलांट वीरबल पुत्र लादूराम 1/4
हक हिस्से का सह खातेदार है अदालत मातहत को वारिस
प्रमाण-पत्र दिनांक 04-11-2019 के आधार पर ग्राम-
जाडलवास में स्थित हाल ख०नं० 61 रकबा 0.91 है० के
बाबत नामान्तरकरण भरना चाहिये था। लेकिन अदालत
मातहत ने सहवन के जमीन हाल ख०नं० 34 व 81 ग्राम
अम्बेडकर नगर के बाबत नामान्तरकरण आदेश दिनांक
21-11-2019 को जारी किया। जो कानून न्याय एव
पक्षपाती के होने के कारण खारीज होने योग्य है यह
कि ग्राम जाडलवास के जमीन हाल ख०नं० 61 रकबा
0.91 है० स्थित है उक्त जमीन का दर्ज खातेदार ओंकारमल
पुत्र लादूराम जाति मेघवाल है उक्त ओंकार मल का
मृत्यु प्रमाण पत्र के मुताबिक दिनांक 28.3.1980 को देहान्त
हो चुका है रेस्पोन्डेन्ट नं० 2 लगा 4 ने अपने आपको उक्त
ओंकार मल का वारिस बतलाते हुए उनकी जगह अपने
नाम नामा० दर्ज करवाने के लिये अदालत मातहत के
समक्ष आवेदन किया। आवेदनकर्ताओं को सही [illegible]
जानकारी भी नहीं थी कि उनकी जमीन वर्तमान में किसके
नाम दर्ज है तथा कौनसे गांव की सरहद में स्थित है ग्राम
अम्बेडकर नगर व ग्राम जाडलवास की सरहद पास-पास
है उपर वर्णित वर्णन स्पष्ट नहीं होने के कारण व वारिस
प्रमाण-पत्र दिनांक 04-11-2019 में वीरबल पुत्र लादूराम
जाति मेघवाल दर्ज होने के कारण अदालत मातहत ने
सहवन व मानवीय भूल के कारण अपीलान्टस की
ग्राम अम्बेडकर नगर में स्थित जमीन हाल ख०नं० 34
व 81 में स्थित उनके 1/4 हक हिस्से के कारण रेस्पोन्डेन्टस
2 से 5 के नाम गलत रूप से नामान्तरकरण स्वीकृत कर
दिया जो बिना अधिकार के होने के कारण खारिज होने
योग्य है उक्त नामा० नं० 261 ग्राम अम्बेडकर के बाबत
आदेश दिनांक 21.11.2019 के बारे में अपीलान्ट को पहले
जानकारी नहीं थी दिनांक 23-7-2020 को उक्त आलोच्य
नामा० की नकल प्राप्त करने पर अपीलान्ट को जानकारी

उप खण्ड अधिकारी
झुन्झुनूं (राज.)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (3)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
उक्त आदेश की जानकारी आलौच्य निर्णय दि० 23.1.20 से अपील अपीलार्थी द्वारा मियाद 30 दिन माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की किसी कारणवश माननीय न्यायालय अपील अपीलार्थी द्वारा मियाद गुजर जाने उप दुरस्त से अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अपीलार्थी द्वारा मियाद समाअत की जावे। देरी माफ करने के लिये धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ अलग से प्रस्तुत की है अपील को सुनने का हक अदालत हाजा को है अतः अपील पेशकार निवेदन है कि अपील- अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत ग्राम पंचायत [illegible] के द्वारा पारित आलौच्य आदेश दि० 21-11-2019 बाबत नामा० सं० 261 ग्राम अम्बेडकर नगर निरस्त किया जावे व नामान्तरकरण सं० 261 ग्राम अम्बेडकर नगर निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। उक्त मुताबिक अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रस्तुत सम्मन/तलबाना पर सं० अपील प्रति के रेस्पो० 1 व 5 को तलबी जारी की गई रेस्पोन्डेन्ट्स 1 से 5 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने बाइन्द विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात अपील वर्णित तथ्यों के बाबत जांच रिपोर्ट तहसीलदार सूरतगढ़ से चाही गई। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार उक्त अपील में प्रतिवादी नं० 4 श्रीराम पुत्र नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी अम्बेडकर नगर ने तत्कालीन पटवारी [illegible] को बीरबल राम पुत्र लादुराम जाति-मेघवाल निवासी अम्बेडकर नगर के विरासत के नामा० के लिये आवेदन किया जिसमें बीरबल, ओंकार, नत्थूराम पिता लादुराम व पुत्री बनारसी पुत्रिया लादुराम जो लादुराम के वारिस थे। इसमें बीरबल, ओंकार पिता लादुराम अविवाहित फौत हो चुके थे तथा नत्थूराम पुत्र लादुराम के ओमप्रकाश व श्रीराम दो पुत्र थे। उक्त वारिसों के नाम से तत्कालीन पटवारी ने वारिसों की जांच कर ग्राम अम्बेडकर नगर के नामा० सं० 261 के द्वारा खाता सं० 44 के बीरबल पुत्र लादुराम जाति मेघवाल निवासी अम्बेडकर नगर के स्थान पर उक्त वारिसों के नाम से नामा० दर्ज कर दिया। इसके कुछ समय उपरान्त ग्राम अम्बेडकर नगर के उक्त खाता सं० 44 में दर्ज खातेदार बीरबल पुत्र लादुराम जाति मेघवाल निवासी अम्बेडकर नगर के पुत्र मनीराम पुत्र	—4—

अधिकारी
(राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	(5)

बीरबल ने तत्कालीन पटवारी से सम्पर्क किया और बताया
कि उक्त खाते में मेरे पिता का नाम हट गया है तथा अन्य
किसी खातेदारों के नाम दर्ज हो गये हैं। जबकि मेरे पिता
बीरबल पुत्र लादूराम जाति मेघवाल निवासी अम्बेडकर
नगर जीवित हैं इस प्रकार एक ही ग्राम एक ही जाति व
समान पिता पुत्र के नाम को बीरबल पुत्र लादूराम जाति
मेघवाल निवासी अम्बेडकर नगर के नाम के दो व्यक्ति हैं
जिनमें एक जीवित था व दूसरा फौत हो चुका था। इस उक्त नामान्तर-
ने जीवित बीरबल पुत्र लादूराम के खाते में तत्कालीन पटवारी ने नामान्तरक-
करण दर्ज हो गया इस पर तत्कालीन पटवारी ने लादूराम जाति मेघवाल निवासी
261 विरासत बीरबल पुत्र लादूराम से सम्पर्क कर
अम्बेडकर नगर के आवेदक कर्ता श्रीराम से सम्पर्क कर अम्बेडकर नगर की लगती
उसके खेत का मौका देखा जो अम्बेडकर नगर की सीमा से स्थित ख० नं०
सीमा के पास ग्राम बाडलवास की सीमा से स्थित ख० नं०
61 रकबा 0.91 है० में नामान्तरकरण दर्ज करना चाहिए था
जो तत्कालीन पटवारी द्वारा मय वहन के नजदीक ग्राम होने
से ग्राम अम्बेडकर नगर के खाता नं० 44 ख० नं० 3481
के दर्ज कर दिया गया। अतः उक्त नामान्तरकरण नं० 261
ग्राम अम्बेडकर नगर के तत्कालीन पटवारी की मानवीय
भूल के कारण दर्ज हुआ है जिसको खारिज करने की
अनुशंसा की जाकर रिपोर्ट पेश की गई है मैंने वकील
अपीलार्थी के तर्कों पर भली-भांति मनन किया एवं पत्रावली
का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन
एवं नामा० सं० 261 दिनांक 21-11-2019 को देखने पर
पाया कि मुताबिक प्रार्थी के शपथ-पत्र वारिस प्रमाण-पत्र
एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज
करवाने जांच एवं निर्णय हेतु पेश है पर भू.अ. की
जांच रिपोर्ट मुताबिक वारिस प्रमाण-पत्र व शपथ-पत्र के
अंकन सही है इस प्रकार हलका पटवारी/भू.अ. निरीक्षक
के द्वारा मृतक खातेदार के विधिक वारिसों की बिना जांच की
नामान्तरकरण पुर कर ग्राम पंचायत में पेश किया जाना जाहिर
है ऐसी अवस्था में बिना सुनवाई और जांच के किए
गये निर्णय पारित किया जाने में मातहत अदालत ग्राम
पंचायत उदावास ने कानूनी भूल की है। मातहत ग्राम पं०
उदावास का निर्णय जो कि प्राकृतिक नियमों एवं कानून
के विपरीत है जो निरस्त किया जाना न्यायोचित है।
उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार
की जाती है। नामान्तरकरण सं० 261 ग्राम अम्बेडकर
नगर दिनांक 21-11-2019 को खारिज किया जाता है। -5-

उप खंड अधिकारी

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(5)	
	आदेश प्रति तहसीलदार (न्यू. अ.) झुंझुनूं को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि वह मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच/सुनवाई का अवसर दिया जाकर समुचित आदेश पारित करें। पत्रावली के मय शुमार होकर दर्ज रजिस्टर के बाद में एक माह तक तामील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18/4/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	18.04.22 उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	